



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 833]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2016/अग्रहायण 11, 1938

No. 833]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2016/AGRAHAYANA 11, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1114(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 में खंड (ज ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
(ज ग) "प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-परिभाषित इंस्ट्रूमेंट है,
- उक्त नियमों में, नियम 6 के उप नियम (3) में "नकद अथवा के माध्यम से" शब्दों के पश्चात् "प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[सं. एच-25016/01/2014-टोल (खंड-II)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 838(अ), 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 950(अ) 3 दिसम्बर, 2010; सा.का.नि. 15(अ), 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. 756(अ), 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.नि. 778(अ), 16 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 26(अ), 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 831(अ), 21 नवम्बर, 2014; सा.का.नि. 02(अ), 29 दिसम्बर, 2014; सा.का.नि. 220(अ), 23 मार्च, 2015 और सा.का.नि. 585(अ), 8 जून, 2016 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2016

G.S.R. 1114(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 namely:-

1. (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereafter referred to as the said rules) in rule 2, after clause (hb), the following clause shall be inserted, namely:-
(hc) "pre-paid payment instrument" means the instrument as defined by Reserve Bank of India;
3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (3) after the words "cash or through" the words "pre-paid payment instruments," shall be inserted.

[F. No. H-25016/01/2014-Toll (Vol.II)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) published in the Gazette of India, vide G.S.R. 838(E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. 756(E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. 02(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. 220(E), dated the 23rd March, 2015 and G.S.R. 585(E), dated the 8th June, 2016.